कोर्ट प्रति आदेश दि० 10-8-22

मण्डल:- कानपुर,जनपद:- फर्रूखाबाद,तहसील:- फर्रुखाबाद
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 9996/2022

मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान (फूस बंगला) फते० द्वारा वा०चे०मै० प्रती सिंह वनाम उ०प्र०सरक

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202203240109996

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 10/08/2022

अंतिम आदेश

ग्राम-खार0 अन्दर शहर परगना- पहाडा तहसील -सदर

निर्णय

मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान (फूस बंगला) फतेहगढ़ द्वारा वाइस चेयरमैन डा0 प्रीती सिंह पुत्री विश्वनाथ सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता के अन्तर्गत नियत प्रारूप आर0सी0 25 पर इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर परगना पहाडा तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद स्थित भूमि गाटा संख्या 56/0.54 व 68/0.31 कुल 02 किता 0.85 एकड भूमि के संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। उक्त भूमि पर कृषियेत्तर कार्य न होने के कारण उसे अकृषक प्रख्यापित किया जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण की जॉच सर्वे नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर से करायी गयी। सर्वे नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 12.07.2022 में अंकित किया है कि ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर परगना पहाडा तहसील सदर की भूमि गाटा संख्या 56/0.54 व 68/0.31 कुल 02 किता 0.85 एकड़ पर आवेदिका मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान (फूस बंगला) फतेहगढ़ द्वारा वाइस चेयरमैन डा0 प्रीती सिंह पुत्री विश्वनाथ सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर वृक्षारोपण, कुकुट पालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि कोई कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक एवं परती तथा बाउण्ड्री के अन्दर आबादी क्षेत्र में स्थित है। तहसीलदार सदर की आख्या अनुसार उक्त गाटा का मूल्यांकन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की भूमि निर्धारण मूल्यांकन की स्वीकृत सूची के आधार पर 55,72,800-00/-(पचपन लाख बहात्तर हजार आठ सौ रूपया) होती है जिसका 01 प्रतिशत 55,728-00/-(पचपन हजार सात सौ अठ्ठाइस रूपया) होती है। अन्ततः उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद की जांच आख्या एवं अन्य अभिलेखों का सम्यंक रूप से परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर परगना पहाडा तहसील सदर के भूमि के गाटा संख्या 56/0.54 व 68/0.31 एकड पर आवेदिका मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान (फूस बंगला) फतेहगढ़ द्वारा वाइस चेयरमैन डा0 प्रीती सिंह पुत्री विश्वनाथ सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कुकुट पालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि कोई कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक एवं परती तथा बाउण्ड्री के अन्दर आबादी क्षेत्र में स्थित है। इसलिए भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। आवेदिका द्वारा धारा-80 के प्रावधानों के अनुसार 01 प्रतिशत 55,728-00/-(पचपन हजार सात सौ अठ्ठाइस रूपया) का उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान दिनांक 10.08.2022 को जमा किया गया एवं कोर्ट फीस जमा की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से आवेदिका द्वारा धारा 80उ0प्र0रा0संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणाम स्वरूप आवेदन पत्र स्वीकार कर निम्नरूप से आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर परगना पहाडा तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद स्थित भूमि खतौनी फसली वर्ष 1395-1400 फसली के खाता संख्या 191 की गाटा संख्या 56/0.54 व 68/0.31 कुल 02 किता 0.85 एकड जो आवेदिका मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान (फूस बंगला) फतेहगढ़ द्वारा वाइस चेयरमैन डा0 प्रीती सिंह पुत्री विश्वनाथ सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, को उ0प्र0रा0संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उप निबन्धक सदर फर्रूखाबाद को तद्नुसार भू-अभिलेखों में इन्द्राज करने व आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी सदर

जनपद-फर्रूखाबाद

आदेश आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, उद्घोषित किया गया।

10-8-22

उप जिलाधिकारी सदर

जनपद-फर्रूखाबाद

TRUE COPY

10-08-22

Sedal to S. D. M.
Farrukhabad

10-8-22

10-8-22

10-8-22

CANCELLED CANCELLED CANCELLED